

SHRI A. P. CHATTERJEE: The hon. Minister just now has said that the Government is proceeding in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The provisions of the Criminal Procedure Code are exactly this that if the civil authorities are unable to quell any disturbance which is happening in front of them or in their presence and when an unlawful assembly is there and that assembly cannot be dispersed except with military help, then only can they call in the military. Otherwise, the military can be made to stand by in the barracks. And according to the Criminal Procedure Code, the military cannot be allowed or asked by the civil authorities to patrol the streets which they are doing in Assam, which is absolutely against law and which is absolutely against the provision of the Criminal Procedure Code.

Sir, in this connection, I may say that in West Bengal also during the months of February to March when troubles broke out over the food situation, we found that the military was called and it patrolled the streets. Even when there was no unlawful assembly existing and even when no disturbance actually was going on in the streets or in any of the localities, the military was patrolling the streets. That is exactly what is happening in Assam. I tell you as a lawyer that I have studied the provisions of the Criminal Procedure Code very well and very thoroughly and I can say, therefore, that the provision in the Criminal Procedure Code does not authorise the civil authorities to keep the military on the streets and patrol the streets; it can be kept in the barracks, it can be called only when it is absolutely necessary, when it is necessary to disperse an unlawful assembly which cannot be dispersed by mere police force. Now, what has the Minister to say about this? Why is the military patrolling the streets, why is it out of the barracks and why is it patrolling the streets in Shillong and other towns?

SHRI JAISUKHLAL HATHI: Sir, my information, as I said, is that the civil authorities have requisitioned this. But for this I have no further information.

SHRI BHUPESH GUPTA : There is a provision in the Criminal Procedure Code

that that the civil authorities can call the Army. We know that. But a report has to be sent to the Central Government. The Military can be called at the request of appropriate authorities provided for under the law. May I know, Sir, if the Government have received any communication from the military authorities who are directly under the Central Government as to manner, how and why they have been called in and on what grounds?

SHRI JAISUKHLAL HATHI: I have only got this much information from the State Government. I have not received any further information from Assam.

**REFERENCE TO CERTAIN OBSERVATIONS MADE IN THE FIFTY-FIFTH REPORT OF THE PAC REGARDING SHRI C. SUBRAMANIAM, THE FOOD MINISTER**

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं अपनी राज्य सभा की प्रक्रिया निदमावली जो है उसकी 190 कलम के मुताबिक आपकी खिदमत में आना चाहता हूँ। इसकी 190 वीं कलम विशेषाधिकार सम्बन्धी सवाल उठाती है।

श्री सभापति : आप इसी मामले पर बोल रहे हैं या किसी नए मामले पर?

श्री राजनारायण : नए मामले पर। इस कलम के अन्तर आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी समय अगर कोई सवाल विशेषाधिकार से ताल्लुक रखता है तो उसके उठाने की इजाजत दे सकते हैं। इसलिये मैं आपकी खिदमत में इस कलम के सहारे आ रहा हूँ।

बहुत ही दुख के साथ आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ।

श्री सभापति : कोई प्रीविलेज का मामला है?

श्री राज

श्री सभा मेरे ब्याल में आप नहीं

रख सकते

श्री राजनारायण : मेरी बात पर विचार कर लें।

श्री सभापति : आप 187, 188 को भी देख लें।

श्री राजनारायण : वे देख लिए हैं। 187 के बाद, 188, 189 और 190 देखकर आपकी खिदमत में आ रहा हूँ।

श्री सभापति : मैंने देख लिया है। कोई ऐसा मामला उठे जिसमें कोई शक्स गैलरी से कुछ करे, वह मामला फौरन यहाँ उठाया जा सकता है, वरना आपको नोटिस देना चाहिये और इजाजत लेनी चाहिए। यहाँ पर उठाया जा सकता है वह मामला जो यहाँ पर हो।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जरा देख लिया जाय।

श्री अर्जुन प्ररोड़ा (उत्तर प्रदेश) : नोटिस देकर उठाया जाय।

श्री राजनारायण : अरोड़ा साहब को मैं मान लूँ कि वह चेयर पर बैठे हैं। दोस्ती अच्छी है, मगर वह दोस्ती प्रापर चैनल से चलनी चाहिए। हमारी दोस्ती में कुछ हो जाता है तो आप अकड़ जाते हैं।

श्री सभापति : उस वक्त उन्हें मालूम होला है चेयर पर हैं।

श्री सभापति : मैं तो, श्रीमन्, आपके

कर रहा हूँ कि कोई भी इस नियम के मुताबिक नोटिस देने की। कोई भी

आवश्यकता नहीं है हमको किसी प्रीविलेज कमेटी में जाने के लिए लिखित नोटिस की।

जहाँ तक श्री सुब्रह्मण्यम् जी का मामला है, एक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है जिसको इस सदन ने बनाया है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने सुब्रह्मण्यम् साहब के बारे में अपनी रपट पेश की है। एक रपट उनकी 50 वीं है। ब्योरे से पढ़ने पर समय लगेगा, मगर जो भी सम्मानित सदस्य इस रपट को पढ़ लेंगे, वे इस नतीजे पर आ जाएंगे कि एक सेकिन्ड के लिए, एक पल के लिए इस रपट के प्रकाशित होने के बाद सुब्रह्मण्यम् को मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि 55 वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक पैरा 4128-पुनः पी० ए० सी० के पास भेजा गया। पी० ए० सी० कमेटी अपनी उस राय को पूरा बना लेने के बाद फिर कन्सल्ट करती है। तो यह सदन अपने द्वारा निर्मित कमेटी के तथ्य और फाइन्डिंग्स को मान्यता देता है। इस कमेटी ने एक रपट पेश की है और वह इन दि पोजेशन आफ दि हाउस है, इस सदन के अधिकार में है। मैं यह समझता हूँ कि पी० ए० एस० कमेटी ने श्री सुब्रह्मण्यम् जी को कई जगहों पर गिल्टी पाया है और यहाँ तक कहा है कि उन्होंने अपने बयान में यह नहीं कहा जैसे 20 जुलाई को कम्पनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने आया था। उसको उन्होंने नहीं कहा था। यह विलकुली सप्रेषन था।

श्री सभापति : राजनारायण जी, आप प्रासीजर का मामला उठा रहे हैं कि कोई प्रीविलेज का मामला बगैर नोटिस के इस हाउस में उठाया जा सकता है। यह आपको 190 से कैसे मिला ?

श्री राजनारायण : 190 का तीसरा प्राविजो पढ़िए।

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE (Maharashtra) : The hon. Member said that the Public Accounts Committee. इन्होंने कहा कि पी० ए० सी० कमेटी ने पाया सुबहाष्यम् जी गिल्टी है। यह कैसे बता सकते हैं ? यह तो नहीं बताया।

श्री सभापति : इस वक्त कोई मैटीरियल सवाल नहीं है। एक प्रासीजरल क्वेश्चन पर बहस कर रहे हैं कि एक मामला वगैर नोटिस के यहाँ उठाया जा सकता है। मैं उसको सुन रहा हूँ।

श्रीमती ताराबाई साठे : उन्होंने बताया पी० ए० सी० कमेटी ने गिल्टी पाया है।

श्री के० के० शाह (महाराष्ट्र) : वह तो बोलने में हो जाता है।

श्री सभापति : 190 में कैसे है कि आप जब चाहे उठा सकते हैं।

श्री राजनारायण : 190 का तीसरा प्रविजो पढ़ें। यदि सभापति जी का विषय की अविलम्बनीय के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो प्रश्नों के निबटाए जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति दे सकेंगे। यह 190 का तीसरा प्रविजो है जिसमें चैयरमैन साहब को यह हक दे रहे हैं, यद्यपि मैं मानता हूँ कि चैयरमैन साहब को इससे भी ज्यादा हक है जहाँ तक प्रीविलेज का सवाल है। अगर मैं जनाव चैयरमैन साहब का समाधान कर दूँ कि यह विषय अविलम्बनीय है, यह पब्लिक इम्पार्टेंस का है, अरबैंट है, इमीडिएट है, इसमें तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए तो चैयरमैन साहब सदन की सिटिंग में किसी भी समय इजाजत दे देंगे कि मैं उसको उठाऊँ।

श्री सभापति : मैं इस मामले में इजाजत नहीं दूँगा। यह मामला सामने आ चुका है। प्रीविलेज का मोशन आ चुका है।

श्री राजनारायण : मैं इतना ही निवेदन करूँगा। मैं इजाजत नहीं दूँगा। मैं आप से कहूँगा कि आपका जरूर यह वाक्य कहना था कि हमको पूरी तरह से सुनने के बाद।

श्री सभापति : मैं इसलिए कह रहा हूँ।

श्री राजनारायण : You are master of the situation. आप सदन : जो भी आज्ञा देंगे उसको सिरोधार्य करूँगा, जिस वक्त हमारे मौलिक अधिकारों पर कठोर घात होगा उस वक्त आप से प्रस्ताव से कहूँगा कि मैं आप से सहमत नहीं हूँ और सदन का त्याग कर दूँगा।

श्री सभापति : राजनारायण जी, आप मामले को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मामला होता जो हाउस के सामने न लाया गया होता तो और बात थी। यह तो आ चुका है, प्रीविलेज नोटिस मौजूद है श्री भूपेश गुप्त का। आप उस को फिर इस वक्त रोज करना चाहते हैं। आपका खुद एक मोशन है पी० ए० सी० ५५ बी रिपोर्ट के बारे में। उसे मैंने मंजूर कर लिया है। ऐसी सूरत में इस वक्त उठाना मुनासिब नहीं है। बगैर इतला के उठाना।

श्री राजनारायण : वही तो अर्ज कर रहा हूँ।

श्री सभापति : बगैर इतला के उठाने के लिए सूरत यह है कि कोई मामला यहाँ पेश हो जाय या गैलरी से कुछ करे तो उसी वक्त उस मामले को उठाने की इजाजत दी जा सकती है अगर मुनासिब हो। चैयरमैन इतिहास है लेकिन वह मामला उठाया नहीं जा सकता।

श्री राजनारायण : हूँ।

SHRIMATI TARA SATHE : Sir, why are y

MR. CHAIRMAN : He thinks that he has something important.

श्री राजनारायण : वही जो नज़ाकत है वह मैं आपकी ख़िदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे अफ़सोस है कि शायद वह बाणी हमारे में नहीं है जो अंग्रेज़ी बोलने वालों में है, अंग्रेज़ी में बोल देने से शायद मैं समझा पाऊंगा लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उस तरह से असर में नहीं आयेंगे, आप तो हमारी हिन्दी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं।

श्री सभापति : थोड़ी बहुत तो समझता हूँ।

श्री राजनारायण : मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि किस ने उठाया है और किसने नहीं उठाया है यह सवाल गोण है। प्रिविलेज का सवाल जिस समय जिसने महत्व का किसी मेम्बर को अहसास हो वह उस समय उतने महत्व के साथ उठा सकता है। तो मैं इस सदन का सदस्य हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि इस मामले में एक मिनट, एक सेकेंड की देर नहीं होना चाहिये। मैंने जब रात भर जाग कर के यह पूरी रिपोर्ट पढ़ी, पचासवीं रिपोर्ट और पचपनवीं रिपोर्ट पढ़ी, तब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूँ।

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra) On a point of order.

श्री राजनारायण : जरा ठहरें।

श्री सभापति : मैं चाहता हूँ कि इनको चुन लेने के बाद फ़ैसला करूँ।

SHRI M. M. DHARIA : My point of order is this. The hon. Member is trying to raise this issue under Rule 190. If we refer to Rule 188, it is very clear and it says :

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary . . ."

श्री सभापति : मैं तो बता चुका हूँ।

SHRI M. M. DHARIA : Let me have my say.

MR. CHAIRMAN : Everybody wants to have his say.

SHRI M. M. DHARIA : . . . "before the commencement of the sitting". My point is that it was possible for the hon. Member to give notice prior to the commencement of the sitting. We should like to know the reasons why it was not possible for the hon. Member to give that notice and if he can convince the House or the Chairman, then one can understand that he can evoke the benefit of the proviso in 190. It is for the Member to convince this House why it was not possible for him to give that notice and when it was possible for Mr. Gupta to give notice one day earlier and when he has read the report according to his own statement, last night, why that notice was not given earlier to the commencement of the sitting and if it is not so given, for the neglect on the part of the hon. Member this House should not be allowed to waste its time this way.

श्री राजनारायण : श्रीमान, मैं आपके जरिये अपने सम्मानित सदस्य का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कर्तव्य का मान कराया। यह सही है कि सदन का यह अधिकार है कि सदन हमसे यह जाने कि मैं अब इस समय इस रूप में नियम 190 की शरण क्यों ले रहा हूँ। तो, श्रीमान, कल जब माननीय भूपेश गुप्त ने प्रिविलेज का मोशन दिया और हमने सर्वसदस्य मोशन दिया तो मैं इस उम्मीद में था और बिल्कुल सही जानकारी के आधार पर इस उम्मीद में था कि आज यह सवाल उठाया जायगा किसी भी तरीके से टलेगा नहीं।

श्री अर्जुन अरोड़ा : सही जानकारी नहीं थी।

श्री राजनारायण : जरा सुन लीजिये। मैं इस उम्मीद में था कि उठेगा चाहे श्री भूपेश गुप्त का जो प्रिविलेज मोशन है उसके द्वारा ही उठे। माननीय श्री भूपेश गुप्त

[श्री राजनारायण]

ने साफ कहा था कि उसमें आपका नाम ऐड हो जाना चाहिये, जाओ ऐड करवा दो। हमने माननीय सचिव से कहा, यह बैठे हुये हैं पूछ लें, कि उसमें ऐड कर दें और श्री भूपेश गुप्ता ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा कि अब ऐड नहीं होगा हमने उसको भेज दिया है। फिर इसके बाद हमने सब्सटैंटिव मोशन दिया और हम इस अंडरस्टैंडिंग में रहे कि हमारा सब्सटैंटिव मोशन आज आयेगा लेकिन जब वह सब्सटैंटिव मोशन हमारा नहीं आया और गुप्ता जी का प्रिविलेज मोशन नहीं आया तो सोचा कि क्या करें, इस प्रक्रियावलि को पढ़ा। हमारे दिमाग में तो था कि ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए कि तत्काल महत्व की कोई चीज उठाई जा सके और चेयर को इतना अधिकार होना चाहिये। तो हमने इसको पढ़ा, हमारे पक्ष के समर्थन में नियमावलि में यह हिस्सा आया है और इसलिये मैं इसकी शरण में गया हूँ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : एक मिनट मैं कह दूँ।

श्री राजनारायण : मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं मगर आप धैर्य रखें। मेरा कहना है कि आज सुबह लिस्ट आफ बिजनेस आने के बाद आपको मालूम था कि जो आपका खयाल था वह गलत था और आज के आर्डर पेपर में आपका या किसी का प्रिविलेज का सवाल नहीं है, तब आपको यह मौका था कि सेशन शुरू होने के पहले आप नोटिस दे देते। लिस्ट आफ बिजनेस सुबह 7 या 8 बजे सब मेम्बरों के पास भेजी जाती है और सेशन 11 बजे शुरू होता है, इस बीच में आप क्यों सोते रहे।

श्री राजनारायण : जी हाँ, अरोड़ा साहब के सामने भी यह रोड़ा है, यद्यपि वह हैं अरोड़ा

मगर अपने सामने अनेकों रोड़ों को पाते हैं, तो मैं उनके रोड़े को हटाना चाहता हूँ, रोड़ा क्या है जरा सुनेंगे सम्मानित सदस्य। इसी रोड़े को टालने के लिये मैं जनाब चेयरमैन साहब की खिदमत में सदन की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट पहले हाजिर हुआ था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यह प्रिविलेज मोशन किसी न किसी हालत में आये और जो बात यहां कह रहा हूँ उसी को इतने व्यूरे से नहीं मुद्तसर में—चेयरमैन साहब के चैम्बर में बताया था कि इस सवाल को आज हम उठाना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि उठायें।

श्री अर्जुन अरोड़ा : उसका नोटिस दे देते।

श्री राजनारायण : अब जरा देखिये, सभापति जी, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और टोकने लगे।

श्री सभापति : मैंने तो आपको पूरे से ज्यादा सुन लिया।

श्री राजनारायण : मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस नतीजे पर हूँ कि इस विषय पर चर्चा को एक मिनट के लिये भी टालना तमाम पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को भंग करना है, तमाम प्रोप्रायटी को भंग करना है और यह मिनिस्टर जो कि गिल्टी है, अपराधी है उसको अनावश्यक समय देना है कि वह अपनी पोजीशन को मजबूत करे तब मैं अपने साथ अन्याय करूंगा, इस सदन के साथ अन्याय करूंगा यदि मैं नियम 190 के मातहत यहां आ कर आपसे इजाजत न मांगू कि इस प्रिविलेज पर फौरन, तत्काल, बिना उस मिनिस्टर को सुने, विचार करने का मौका दिया जाय। उस मिनिस्टर को सुनने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी उस मिनिस्टर को कहना था वह कह चुका है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने और कोई नई चीजें नहीं कहने जा रहा है, इसलिये उनको सुनने के नाम पर इसको टाला नहीं जाना चाहिये, इसको फौरन वहां भेजा जाना

चाहिये। एक और काम यह हाउस, यह सदन, कर सकता है, अगर आप या अगर सदन इस राय के हों कि प्रिविलेज कमेटी में भी भेजने से क्या मतलब, सारा मामला साफ है। *Everything is above board*. हर चीजें साफ हैं तो देन एंड देयर, इमीडियेटली, यह हाउस यहां बैठकर उस पर फैसला ले ले। एक तरीका और हो सकता है जिसके बारे में मैं बहुत साफ नहीं हूँ मगर मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ क्योंकि यह मसला लोक सभा में भी उठा है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी दोनों सदन के मेम्बरों से बनती है तो दोनों सदन की एक मीटिंग हो

SHRI M. M. DHARIA : How this question comes in here ? This argument cannot come here.

श्री राजनारायण : बगैर सुने आप क्यों ऐसा कहते हैं।

तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाय, अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हो, आप इसको बूझें कि लोक सभा और राज्य सभा की एक ज्वाइंट सिटिंग हो और ज्वाइंट सिटिंग बैठकर के इस मसले पर हम विचार करें, आज करें, अभी करें या कल करें, जितनी जल्दी हो सके करें।

श्री सभापति : आप खत्म कर दें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण : मेरा इतना ही निवेदन है कि आप हमारी इस भावना को जगह दें और सुब्रह्मण्यम् साहब के मामले पर, जो उनके जरिये सारी बंगालिंग हुई है और अब तक बेहयायी के साथ मंत्री-पद पर बने हुये हैं उसके बारे में, यह सदन अपना कोई निर्णय दे, और बडिक्ट देने के लिये सदन बैठ कर पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर विचार करें या उनके मामले को प्रिविलेज कमेटी के सामने लाकर के यह सदन फौरन फैसला करे। यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : मैं आपको इस बक्त प्रिविलेज के सवाल को उठाने की इजाजत नहीं देता। प्रिविलेज का मामला गालिबन कल उठेगा, भूपेश गुप्त साहब ने जो नोटिस दिया है मौका इस पर गुप्तगु के लिये जायेगा ताकि भूपेश गुप्त साहब यह मुझे समझायें कि मैं उसको स्वीकार कर लूँ, पहले तो मेरी कंसेंट उसमें चाहिये और उस कंसेंट के लिये मैं भूपेश गुप्त साहब से यह कहूंगा कि मुझे यह बतायें कि वह क्यों चाहिये। आपको तो मैंने सुन लिया। मेम्बरस कल मुझे बतायेंगे कि प्रिविलेज क्यों बनता है।

श्री राजनारायण : आखिर मेरा मोशन कब आयेगा, श्रीमान्, यह तो मालूम हो।

श्री सभापति : मोशन आपका एडमिट हो गया है नो-डेट-येट-नेम्ड-मोशन की तरह, जब प्रोग्राम में आयेगा तो पेश हो सकेगा।

श्री राजनारायण : तब तो वह मोशन महत्वहीन हो जायगा।

श्री सभापति : तो मैं क्या करूँ।

Shall we pass on to the next business ? It is 1 O'clock. The House stands adjourned till 2.30.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHAROAVA) in the Chair.

#### RESOLUTION RE LEVYING OF EXPORT DUTY ON CERTAIN COMMODITIES—*Contd.*

SHRI K. K. SHAH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, my friend, Mr. Bhupesh Gupta, was waxing eloquent on the question that the consumer would suffer because the export duty has been levied.